मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

अपील कमाँक ए–118/रासूआ/11–2/भोपाल/06

श्रीसमयलालविश्वकर्मा — अपीलकर्ता
जी.आई.–2,आई.टी.आई.स्टाफ कॉलोनी,
गोविंदपुरा,भोपाल,मध्यप्रदेश ।

प्रमुख सचिव, — अपीलीय अधिकारी
[illegible]देश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

लोक सूचना
अधिकारी

आदेश

(दिनांक 20 जून, 2006)

श्री समयलाल विश्वकर्मा (अपीलकर्ता) ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.12.2005 को एक आवेदन–पत्र दिया था जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी मांगी थी :–

''माननीय न्यायालय एवं राज्य शासन (गैस राहत विभाग) द्वारा जारी आदेश के पालन में 13.2.95 से संविदा अनुदेशक का भुगतान 1.7.97 से तदर्थ आदेश एवं भुगतान तथा 29.6.04 से नियमित पदस्थापना का आदेश कब तक जारी किया जाएगा,जानकारी देने की कृपा करें ।''

2. लोक सूचना अधिकारी ने अपने दिनांक 18.1.2006 के आदेश में अपीलकर्ता को सूचित किया है कि इस प्रकार की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है ।

3. लोक सूचना अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दिनांक 4.2. 2006 को अपीलीय अधिकारी एवं प्रमुख सचिव,तकनीकी शिक्षा विभाग के समक्ष प्रस्तुत की थी । इस

प्रकरण में दिनांक 22 फरवरी 2006 को सुनवाई रखी गई थी । उक्त दिनांक को अपीलकर्ता को प्रकरण में सुना गया, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया इसलिए अपीलकर्ता ने यह अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है ।

4. अपील के बिंदुओं पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को प्रतिवेदन देने के लिए निर्देश दिए गए । इस संबंध में एक प्रतिवेदन अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त हुआ है जिसमें यह दर्शाया गया है कि विभाग अपील ज्ञापन की प्रथम 4 कण्डिकाओं से सहमत है और कण्डिका 5 से आंशिक रूप से सहमत है और यह भी उल्लेखित किया गया है कि अपील अधिकारी ने प्रकरण में सुनवाई करके प्रकरण का त्वरित रूप से निराकरण करने के लिए संचालक को निर्देश दिए हैं । इस संबंध में प्रकरण की वर्तमान स्थिति भी दर्शाई गई है ।

5. यह प्रकरण सुनवाई के लिए दिनांक 19 जून 2006 को रखा गया था । अपीलकर्ता उपस्थित हुए । लोक सूचना अधिकारी अवकाश पर थे अतः वह उपस्थित नहीं हो सके । अपीलीय अधिकारी श्री दिलीप मेहरा, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग एवं संचालक, प्रशिक्षण उपस्थित हुए । दोनों पक्षों को इस प्रकरण में सुना गया ।

6. अपील अधिकारी ने यह बताया है कि उन्होंने अपीलकर्ता की अपील पर आदेश दिनांक 15 जून 2006 को पारित कर दिए हैं । इस आदेश में अपीलकर्ता ने जिस विषय–वस्तु के संबंध में जानकारी चाही है और जो कार्यवाही की गई है, उसका विस्तृत वर्णन है, लेकिन उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलकर्ता की अपील निरस्त कर दी है क्योंकि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है, वह सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है ।

7. इस प्रकरण में अपीलकर्ता को भी सुना गया । अपीलकर्ता यह जानकारी चाहते हैं कि माननीय न्यायालय एवं राज्य शासन (गैस राहत विभाग) द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में उन्हें कब बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा और उन्हें कब नियमित पदस्थापना के आदेश प्रदान किए जाएंगे । अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी अभिलेख के अवलोकन करने की अनुमति नहीं चाही है और न ही किसी अभिलेख की प्रति चाही है । अपीलकर्ता यह कहते हैं कि उनके प्रकरण में निर्णय होने के लिए समय–सीमा की जानकारी प्रदान की जाए । यह विषय सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, अतः यह अपील प्रकरण निरस्त किया जाता है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)

मुख्य सूचना आयुक्त

20 जून 2006